

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) बलरामपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज (छ0ग0)

—:: निविदा सूचना ::—

क्रमांक/ 247 /भण्डार/आदि0वि0/2017-18

बलरामपुर दिनांक18../05/2017

कार्यालय कलेक्टर की ओर से बलरामपुर जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित विभागीय क्रीड़ा परिसर/छात्रावास/आश्रमों में प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों से सलंगन सूची अनुसार खेल सामग्री क्रय किये जाने हेतु मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत निर्माता/अधिकृत विक्रेता निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से आवेदन प्रस्तुत कर रुपये 1000.00 (रू0 एक हजार मात्र) नगद भुगतान कर दिनांक ...7.6.2017..... तक कार्यालयीन दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

निविदा विक्री की अंतिम तिथि

दिनांक6.6.2017 शायं 5.30 बजे तक

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि

दिनांक8.6.2017 अपरान्ह 3.00 बजे तक

निविदा खोलने की तिथि

दिनांक8.6.2017 शायं 4.00 बजे तक

(कलेक्टर बलरामपुर द्वारा अनुमोदित)

सहायक आयुक्त

हेतु-कलेक्टर

बलरामपुर-रामानुजगंज

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) बलरामपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज (छ0ग0)


—:: निविदा सूचना ::—

क्रमांक / 248 / भण्डार/आदि0वि0 / 2017-18 बलरामपुर दिनांक18...../05/2017

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित विभागीय क्रीड़ा परिसर/छात्रावास/आश्रमों में प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों से खेल सामग्री (सलंगन सूची अनुसार) कय किये जाने हेतु सामग्री की दर निम्नलिखित नियम व शर्तों के अधीन सीलबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निर्माता/अधिकृत विक्रेता अपना दर दिनांक 08.06.2017 को अपरान्ह 3:00 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से या स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, बलरामपुर में निर्धारित निविदा बॉक्स में जमा कर सकेंगे।

1. खेल सामग्रियां प्रतिष्ठित कम्पनी एवं उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए।
2. सामग्री प्रदाय हेतु निर्माता/अधिकृत विक्रेता के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने एवं छ0ग0 वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत इकाईयां को ही रू0 1000.00 नगद राशि सहित आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही निविदा फार्म प्रदाय किया जावेगा।
3. निविदादाता का सेल टैक्स विभाग में फर्म का पंजीयन के साथ-साथ निर्बाधन (Clearance) होना चाहिए।
4. रूपये 13400.00 (रूपये चौदह हजार दो सौ पचास मात्र) सुरक्षा निधि की राशि सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास बलरामपुर के पक्ष में बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। सुरक्षा निधि में छूट संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर इकाईयों को सुरक्षा निधि राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
5. निविदा दो बंद लिफाफे में (प्रथम लिफाफे में सुरक्षा निधि या उससे छूट प्रमाण पत्र, सेल टैक्स, पंजीयन आदि तथा दूसरे लिफाफे में स्पेशिफिकेशन (विस्तारपूर्वक व्याख्या) सहित दर प्रस्तुत करना होगा। सर्व प्रथम संबंधित प्रथम लिफाफा खोला जाएगा एवं आवश्यक दस्तावेज पूर्ण पाये जाने पर ही दूसरा लिफाफा खोला जावेगा जो दर से संबंधित होगा। आवश्यक दस्तावेज पूर्ण न होने पर दूसरा लिफाफा निरस्त कर दिया जावेगा।
6. सामग्री की दर समस्त कर एवं एफ.ओ.आर. बलरामपुर को शामिल करके देना होगा।
7. निविदा दिनांक 08.06.2017 को अपरान्ह 4:00 बजे जिला कय समिति के समक्ष खोला जावेगा। निविदा खोलते समय निविदादाता स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
8. कलेक्टर, बलरामपुर को अंतिम अधिकार होगा कि वे बिना कारण बताए निविदा निरस्त कर सकते हैं। टेण्डर की तिथि बढ़ा सकते हैं या पुनः दुबारा आमंत्रित कर सकते हैं।
9. कय समिति के पास अधिकार सुरक्षित रहेगा कि न्यूनतम दर प्राप्त होने पर भी अगर उचित समझे तो उच्च गुणवत्ता के आधार पर अधिक दर की सामग्री स्वीकृत कर सकेंगे।
10. सामग्री का भुगतान कय समिति के भौतिक सत्यापन करने के उपरांत संतोषप्रद पाये जान पर ही की जावेगी।
11. सामग्री कय आदेश होने के एक माह के अंदर सामग्री प्रदाय करना अनिवार्य होगा।
12. निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
13. प्रस्तावित दरें वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु मान्य होगी।
14. प्रदाय सामग्री निविदा प्रपत्र में अंकित स्पेशिफिकेशन के अनुसार नहीं पाए जाने पर संबंधित फर्म को गोदाम से लिखित सूचना पर एक सप्ताह के भीतर सामग्री उठाना अनिवार्य होगा, तत्पश्चात प्रदाय सामग्री की जिम्मेदारी शासन की नहीं होगी।
15. प्रस्तावित कय आदेश में अंकित समयावधि एवं नमूना तथा मापदण्ड के अनुरूप सामग्री प्रदाय करना अनिवार्य होगा। नमूना तथा मापदण्ड के अनुरूप सामग्री प्रदाय नहीं करने पर प्राप्त सामग्री स्वीकार नहीं की जावेगी एवं प्रदायकर्ता को अपने व्यय पर सामग्री वापस ले जाना होगा। निर्धारित अवधि के अंदर यदि सामग्री प्रदाय नहीं की जाती है तो 2 प्रतिशत पेनाल्टी के साथ समयावधि में एक बार वृद्धि की जा सकेगी। निर्धारित समयावधि एवं निर्धारित स्पेशिफिकेशन के अनुसार सामग्री प्रदाय न

- करने पर सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी तथा संबंधित फर्म को काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा।
16. प्रस्तुत निविदा के साथ एक-एक नग सामग्री का नमूना प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। निविदा दाताओं को एक ही दर अंकित किया जाना होगा अर्थात् एक सामग्री हेतु एक नमूना एवं उसका दर प्रस्तुत करना होगा।
17. संबंधित सामग्री का नमूना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में निविदा का लिफाफा सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
- (कलेक्टर बलरामपुर द्वारा अनुमोदित)


सहायक आयुक्त
हेतु-कलेक्टर
बलरामपुर-रामानुजगंज

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) बलरामपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज (छ0ग0)

क्रमांक / 251 / भण्डार/आदि0वि0/2017-18

बलरामपुर दिनांक18/05/2017

--:: सामग्री की दर सूची ::--

क्रं.	सामग्री का नाम	साईज/आकार	मापदण्ड (प्रतिष्ठित कंपनी का नाम)	संस्थान द्वारा प्रस्तुत दर (प्रति नग)
1	2	3	4	5
1	जीम (COSCO Heavy)			
2	क्रिकेट बैट			
3	टेनिस बॉल			
4	क्रिकेट स्टम्प			
5	वालीबॉल (COSCO)			
6	वालीबॉल नेट			
7	Cricket Leg Pad (SG)			
8	Glubs (SG)			
9	Ring Ball Best Quality)			
10	Foot Ball (Cosco, Nivia)			
11	Foot Ball Net			
12	हॉकी स्टीक (रक्षक)			
13	हॉकी बॉल (Club)			
14	हॉकी सीम गार्ड			
15	हॉकी एपडोमिनल गार्ड			
16	हॉकी गोलकीपर कीट (Alfa)			
17	Weight Machine			
18	बैडमिंटन रैकेट (Graflex, Cosco)			
19	शटल (Yonet)			
20	कैरम बोर्ड मिडियम (गोटी एवं स्ट्राइगर सहित)			
21	बैडमिंटन नेट			

हस्ताक्षर एवं फर्म का सील

--:: प्रमाण-पत्र ::--

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने कार्यालयीन पत्र क्रमांक 247 /भण्डार/आदि0वि0/2017-18 दिनांक 18.05.2017 द्वारा जारी निविदा की शर्तों को भली भांति पढ़ लिया है। मुझे निविदा की समस्त शर्तें मंजूर हैं तथा मुझ पर बंधनकारी होगा।

हस्ताक्षर एवं फर्म का सील